रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 1970/आषाढ़ 29, 1892

No. 133] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 1970/ASADHA 29, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 20th July 1970

G.S.R. 1062.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to eight rupees per quintal, such quantity of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), produced in a factory, during the period commencing from the 1st July, 1970, and ending with the 30th September, 1970, as is in excess of the quantity of sugar produced by it during the period commencing from the 1st July, 1969, and ending with the 30th September, 1969 (hereinafter referred to as the base period):

Provided that the aforesaid exemption shall not be admissible to a factory—

(a) which did not work during the period from the 1st October, 1968 to the 30th September, 1969, or.

(b) which had only a trial run during the period from the 1st October 1968 to the 30th September, 1969, or,

(c) which commenced production for the first time on or after the 1st October, 1969:

Provided further that the aforesaid exemption shall not be admissible to a factory whose production of sugar during the period commencing from the 1st October, 1969 and ending with the 30th September, 1970 is not in excess of 105 per cent. of the quantity of sugar produced by it during the period commencing from the 1st October, 1968, and ending with the 30th September, 1969:

Provided also that, in computing the production of sugar during the periods mentioned in this notification,

(a) the data as furnished in Form R.G. 1 prescribed in Appendix I to the Central Excise Rules, 1944, or in such other record as the Collector may prescribe under rule 53 or 173 G of the said rules, shall be adopted;

(b) any sugar, obtained from reprocessing of sugar-house products left over in process at the end of the base period or earlier, shall be taken into account; and

(c) any sugar obtained by refining gur or khandsari sugar, or any sugar obtained by reprocessing of defective or damaged sugar or brown sugar, if the same has already been included in the quantity of sugar produced, shall not be taken into account.

Explanation:—A factory shall be deemed to have had a trial run during the period from the 1st October, 1968, to the 30th September, 1969, only if, on first going into production, the period during which actual crushing was done during the said period was less than 40 per cent of the average duration of the season in the State in which the factory is situated.

2. The exemption granted by this notification shall be in addition to the exemption granted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, No. 69/70-Central Excises, dated the 21st March, 1970.

[No. 149/70-C.E./F. No. 31/10/69-CX-3]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1970

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 1062—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली, 1 जुलाई, 1970 से आरम्भ होकर 30 सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान कारखाने में उत्पादित चीनी की उतनी मात्रा को जितनी उसके द्वारा 1 जलाई, 1969 को आरम्भ होकर 30 सितम्बर, 1969 को समाप्त हो वाली कालावधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधारिक

कालावधि कहा गया है) के दौरान उत्पादित चीनी के मात्रा से अधिक हो, उस पर उद्गृहणीय उतने उत्पाद शल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना आठ रुपए प्रति क्विंटल के समतुल्य हो ।

परन्तु उपर्युक्त छूट उस कारखाने की अनुज्ञय नही होगी :—

(क) जिसने 1 अक्टूबर, 1968 से 30 सितम्बर, 1969 तक की कालावधि के दौरान काम नही किया, या ;

(ख) जिसका 1 अक्टूबर, 1968 से 30 सितम्बर, 1969 तक की कालावधि में केवल परीक्षण चालन हुआ था, या;

(ग) जिसने 1 अक्टूबर, 1969 को या उसके पश्चात् पहली बार उत्पादन आरम्भ किया ;

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त छूट उस कारखाने को लागू नही होगी जिसका 1 अक्टूबर, 1969 को आरम्भ होकर 30 सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान चीनी का उत्पादन उस के द्वारा 1 अक्टूबर, 1968 को आरम्भ होकर 30 सितम्बर, 1969 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान उत्पादित चीनी की मात्रा के 105 प्रतिशत से अधिक नहीं है । परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना में वर्णित कालावधियों के दौरान चीनी के उत्पादन की संगणना करने में —

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के उपाबंध 1 में विहित प्ररूप आर० जी० 1 में दिए गए या ऐसे अन्य अभिलेख में के जो कलक्टर उक्त नियमों के नियम, 53 या 173 छ के अधीन विहित कर, आंकड़ों को अपनाया जाएगा ;

(ख) आधारित कलावधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व प्रसंस्करण में बचे चीनी गह–उत्पादों में पुनः प्रसंस्करण से अभिप्राप्त किसी चीनी को हिसाब में लिया जाएगा ; और

(ग) गुड़ या खांडसारी चीनी के परिष्करण द्वारा अभिप्राप्त किसी चीनी को या टिपूर्ण या नुक्सानग्रस्त चीनी या भूरी चीनी के पुनः प्रसंस्करण द्वारा अभिप्राप्त किसी चीनी को, यदि उसे उत्पादित चीनी की मात्रा में सम्मिलित किया जा चुका है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—किसी कारखाने का 1 अक्टूबर, 1968 से 30 सितम्बर, 1969 तक की कालावधि के दौरान 'परीक्षण चालन, हुआ था ऐसा तभी समझा जाएगा यदि, प्रथम बार उत्पादन आरम्भ करने पर, वह कालावधि जिसके दौरान वास्तविक पिराई उक्त कालावधि के दौरान की गई थी, उस राज्य में जिसमें वह कारखाना स्थित है, मौसम की औसत अवधि के 40 प्रतिशत से कम थी।

2 इस अधिसूचना द्वारा मंजूर की गई छूट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग, की अधिसूचना सं० 69/70–के उ० शु०, तारीख 21 मार्च, 1970 के अन्तर्गत मंजूर की गई छूट के अतिरिक्त होगी ।

[सं 149/70-सी० ई० / फा० सं० /31/10/ 69–सी एक्स–3]

पी० आर कृष्णन, अवर सचिव,

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970